।।कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, फलौदी।।

क्रमांकः–म07( )फलौदी/विविध/2026/ 1214-56 दिनांकः– 29 06.2026

नीलामी विज्ञप्ति

वाण्ज्यिकर विभाग में पंजिकृत जीएसटी फार्म/बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के आदेश 12919–2 दिनांक 12.09.2026 के अनुसार जिला फलौदी के नाकारा विभागीय वाहन कुल 09(03 बोलेरो, 01 बोलेरो केम्पर, 01 मिनिबस, 04 मोटर साईकिल) की दिनांक 20 जुलाई 2026 को सार्वजनिक रूप से कमेटी के समक्ष रिजर्व पुलिस लाईन फलौदी में नीलामी की जायेगी। वाहन नीलामी प्रकिया 20 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होकर सांय 05.00 बजे तक की जायेगी। वाहनो की नीलामी से सम्बन्धित पूर्ण शर्ते एवं वाहनो की सूची राजस्थान पुलिस विभाग की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। एवं किसी भी कार्य दिवस कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक एवं रिजर्व पुलिस लाईन फलौदी के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है, नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता कार्यालय समय मे नीलामी से पूर्व किसी भी दिन रिजर्व पुलिस लाईन फलौदी में वाहन जहां खडा है, का निरीक्षण कर सकते है। एवं बोलीदाता उक्त दिनांक को निर्धारित मय पर उपस्थित होकर निम्न नाकारा वाहनो हेतु वर्णित शर्तोनुसार नीलामी में भाग ले सकते हैः–

नीलामी योग्य विभागीय नाकारा वाहनो की सूचि

कं. स.	वाहन संख्या	मैक	मॉडल	बुक वेल्यू	आरक्षित मूल्य	सार्वजनिक नीलामी का स्थान
1.	RJ-19-UC-0810	BOLERO	2016	573619.88	75,000	पुलिस लाईन फलौदी दिनांक 20. 07.2026
2	RJ-19-UC-0590	BOLERO	2015	558780.00	70,000	
3	RJ-19-UB-9995	BOLERO	2015	558475.13	70,000	
4	RJ-19-GE-3480	BOLERO CAMPER	2015	531413.90	65,000	
5	RJ-19-PA-6569	MINIBUS	2012	114049.90	15,0000	
6.	RJ-19-BA-0231	M CYCLE	2015	51208.51	5500	
7.	RJ-19-MS-1693	M CYCLE	2013	53154.98	5200	
8.	RJ-19-FS-3032	M CYCLE	2012	39457.20	4100	
9.	RJ-19-MS-1695	M CYCLE	2012	53154.98	4500	

सफल बोलीदाता को उसकी बोली की 1/4 राशि नीलामी के दिन एवं शेष 3/4 राशि नियमानुसार प्रवृत समस्त राजकीय कर राशि सहित शीध्र जमा करवानी होगी, अन्यथ बोली निरस्त कर दी जावेगी एवं जमा राशि जमा सरकार कर दी जावेगी।

निलामी के शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है, नीलाम किया जायेगा। अतः बोलीदाताओ से अपेक्षा की जाती है कि बोली लगाने से पूर्व वाहन का पूरा परीक्षण कर ले तथा वाहन के विवरण के बारे मे अपने आप को सन्तुष्ट करने के उपरान्त ही बोली लगावें।
2. प्रत्येक वाहन की बोली अलग–अलग (वाहनवार) लगानी होगी, कमेठी द्वारा समूह में भी नीलामी की जा सकती है।

3. अमानत राशि 15000/– बोलरो व मिनि बस 25000/–प्रत्येक चौपाहिया वाहन के लिये एवं 1500/– प्रत्येक दुपहिया वाहन के लिये अलग–अलग होगी। नीलामी में बोली लगाने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को नकद अमानत राशि नीलामी के दिन कमेठी को जमा करानी होगी।
4. नीलामी में सफल बोलीदाता को वाहन के विक्रय पर नियमानुसार प्रवृत समस्त प्रकार के राजकीय कर,फीस, जी.एस.टी. एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा करवाने होगे।
5. अन्तिम (सफल)बोलीदाता को अंतिम बोली की 1/4 राशि तुरन्त जमा करानी होगी एवं 3/4 राशि तथा नियमानुसार प्रवृत समस्त राजकीय कर की राशि नकद/बैक ड्राफट/चालान के द्वारा शीघ्र जमा करानी होगी, अन्यथा बोली निरस्त कर जमा 1/4 राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. इस निलामी की विज्ञप्ति में नाकारा वाहनो की उक्त वर्णित सूचना एमटी शाखा, रिजर्व पुलिस लाईन फलौदी से प्राप्त कर दर्ज की गई है। तदनुसार इस विज्ञप्ति से नाकारा वाहनों सम्बन्धी सूचना प्रकाशन/लेखन में सावधानी बरती गई है। फिर भी उक्त नाकारा वाहनो का अवलोकन बोलीदाता स्वयं बोली से पूर्व अथवा मौके पर आवश्यक रूप से कर लेवे।
7. अंतिम बोली पर छोडे गये वाहन को आदेश जारी होने के पश्चात शीघ्र बोलीदाता को अपने स्वंय के स्तर/साधन से वाहन उठाना होगा। जिसका कोई व्यय देय नही होगा।
8. किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. नीलामी के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय यथा किसी एक वाहन अथवा सम्पूर्ण नीलामी को निरस्त/स्थगित करने तथा अमानत राशि निश्चित करने के सम्पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरखित रहेगे।
10. नीलामी के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय यथा किसी एक वाहन अथवा सम्पूर्ण नीलामी को निरस्त/स्थगित करने तथा अमानत राशि निश्चित करने के सम्पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त विवरण नीलामी की शर्ते एवं वाहनो की सूची का अवलोकन जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं रिजर्व पुलिस लाईन फलौदी के नोटिस बोर्ड पर कार्यालय समय में कभी भी किया जा सकता है।
12. वाहनो की नीलामी पश्चात उसमें किसी नुकसान या कमी के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
13. सफल बोलीदाता(क्रेता) को वाहन छुडाने से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी स्वंय की पहचान एवं स्थाई निवास के पते के सत्यापन हेतु दस्तावेज मय पासपोर्ट साईज फोटो के प्रस्तुत करने होंगे।
14. किसी भी विवाद पर न्यायिक क्षेत्राधिकार फलौदी रहेगा।

(सतनाम सिंह)
जिला पुलिस अधीक्षक
फलौदी।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
3. नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर।
4. जिला कलक्टर फलौदी।
5. पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय राज0 जयपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर फलौदी (अध्यक्ष) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौद(सदस्य सचिव) , कोषाधिकारी फलौदी, अधिशाषी अभि.ई.गा.न.पफलौदी(यांत्रिक खण्ड), जिला परिवहन अधिकारी फलौदी(सदस्य लेखा) को जिला कलक्टर फलौदी के आदेश के कम में निलामी में भाग लेने हेतु प्रेषित है।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी।
9. समस्त वृताधिकारी, जिला फलौदी।
10. संचित निरीक्षक पुलिस लाईन फलौदी को नीलामी से संबंधित समस्त प्रकिया सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
11. समस्त थानाधिकारी जिला फलौदी।
12. प्रभारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि को पुलिस लाईन फलौदीक्रमांअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला फलौदी।
13. प्रभारी डीसीआरबी कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी विज्ञप्ति पुलिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

जिला पुलिस अधीक्षक
फलौदी।